डिजिटल बैंकिंग में एआइ मददगार बस साइबर ठगों से रहें सतर्क

समिट में बैंकिंग के बदलते स्वरूप पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

जागरण संवाददाता • लखनऊ : बैंकिंग अब सिर्फ काउंटर के चक्कर काटने तक सीमित नहीं रह गई। मोबाइल के एक क्लिक पर पैसे भेजने, बिल भुगतान और निवेश जैसी सेवाएं पूरी हो रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस व्यवस्था में क्रांति लाने की तैयारी में है। एआइ के जरिए बैंक ग्राहकों के लेनदेन के व्यवहार को समझकर व्यक्तिगत सेवाएं देने के साथ संदिग्ध लेनदेन की तुरंत पहचान कर सकेंगे। हालांकि, डिजिटल सहूलियत के साथ साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरी है।

बुधवार को गोमती नगर स्थित होटल ताज महल में डिजिटल बैंकिंग लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स 2026 के 11वें संस्करण में इसी बदलते स्वरूप पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन और इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित इस समिट में बैंकिंग, फिनटेक, आइटी और सरकारी क्षेत्र के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', नाबार्ड की महाप्रबंधक डा. नंदिनी घोष, यूको बैंक के अंचल प्रबंधक आशुतोष सिंह, बैंक आफ महाराष्ट्र के अंचल प्रबंधक अमित गोयल और आरके शरण समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। एसबीआइ और बैंक आफ बड़ौदा समेत कई बैंकों को डिजिटल नवाचार के लिए पुरस्कृत भी किया गया।

साइबर ठगों के नए पैंतरों से रहें सावधान : डिजिटल बैंकिंग का दायरा बढ़ने के साथ जालसाजों के ठगने के तरीके भी हाईटेक हो चुके हैं। फर्जी बैंक अधिकारी, केवाईसी अपडेट, रिवार्ड प्वाइंट का लालच देकर ठगी की कोशिशें बढ़ रही हैं।

ताज होटल में एक्सीलेंस इन डिजिटल बैंकिंग एनुअल लीडर शिप समिट को संबोधित करते उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी • जागरण

डिजिटल बैंकिंग ने सीबीएस, एनईएफआी, आरटीजीएस से लेकर यूपीआइ तक भारतीय बैंकिंग की सूरत बदल दी है। डिजिटलाइजेशन के साथ जोखिम का तरीका भी बदला है। बैंकों को फर्जी खातों और संदिग्ध लेनदेन की पहचान के लिए आधुनिक एआइ एनालिटिक्स टूल अपनाने होंगे। डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत ग्राहकों के डेटा और थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

-**पंकज कुमार**, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआइ।

इन बातों की गांठ बांध लें

• **ओटीपी /पिन कभी शेयर न करें :** अपना यूपीआइ पिन, सीवीवी या ओटीपी किसी को न बताएं। बैंक कभी फोन पर ये नहीं मांगता।

• **संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें :** एसएमएस, वाट्सएप या ईमेल पर आए अनजान लिंक पर क्लिक करके नेट बैंकिंग लागइन करने की भूल न करें।

रिमोट-एक्सेस ऐप से बचें : किसी अनजान के कहने पर एनीडेस्क, टीम वीवर या क्विक सपोर्ट जैसे स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड न करें।

• **बैंकिंग अलर्ट पर पैनी नजर :** हर ट्रांजैक्शन के एसएमएस और ईमेल अलर्ट को ध्यान से देखें। अज्ञात लेनदेन दिखते ही बैंक को सूचित करें।

• **यूपीआइ पिन केवल पैसे भेजने के लिए :** याद रखें, खाते में पैसे प्राप्त करने (रिफंड या पेमेंट लेने) के लिए कभी भी पिन दर्ज नहीं करना पड़ता।

• **साइबर हेल्प-लाइन 1930 पर तुरंत काल करें :** यदि ठगी का शिकार हो जाएं तो 'गोल्डन आवर' यानी एक घंटे के भीतर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल करें या cyber crime.gov.in पर शिकायत करें।

खाताधारक के लिए क्या बदलेगा

• **स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बैंकिंग :** एआइ आपकी वित्तीय जरूरतों और खर्च के पैटर्न को समझकर सीधे आपके काम के विकल्प और सुझाव देगा।

• **संदिग्ध लेनदेन पर तुरंत ब्रेक :** खाते से सामान्य व्यवहार से हटकर कोई फ्राड ट्रांजैक्शन होते ही एआइ सिस्टम अलर्ट भेजकर उसे रोक देगा।

• **तत्काल शिकायत निवारण :** एआइ आधारित वर्चुअल असिस्टेंट और

चैटबाट्स से ग्राहकों के सवालों व शिकायतों का समाधान मिनटों में होगा।

• **बैंक जाने की झंझट खत्म :** अधिकतर सेवाएं मोबाइल पर ही होने से शाखा जाने की निर्भरता न के बराबर रह जाएगी।

MAGZTER